

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तोडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
 प्र.इ.रि.स 2023 दिनांक 28/7/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट - धाराएं 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)
 (2) अधिनियम भा.द.स. - धाराएं -
 (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 1105 समय 01:20 PM,
 (2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 26.07.2023 समय 05.40 पी.एम.
 (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.07.2023 समय 01.00 पी.एम.
4. सूचना की किसम लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल :
 (1) थाना से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 330 किलोमीटर
 (2) पता - पंचायत समिति सभागार का बरामदा चित्तोडगढ
 बीट संख्या जरायमदेही संख्या
 (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
 पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -
परिवादी
 (1) नाम : श्री देवी लाल गुर्जर
 (2) पिता का नाम : श्री रतन लाल गुर्जर
 (3) आयु : 42 साल
 (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
 (5) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि जारी होने की जगह
 (6) व्यवसाय : ठेकेदारी
 (7) पता : निवासी काठोडिया ग्राम पंचायत नारेला पुलिस थाना चंदेरिया जिला
 चित्तोडगढ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
 1. श्री संदीप सीपानी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी जाति जैन उम्र 36 साल
 निवासी मकान नंबर 36 हर्ष नगर, चामटीखेड़ा रोड, कैलाश नगर पुलिस थाना
 कोतवाली चित्तोडगढ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत
 समिति चित्तोडगढ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण -
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
 क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
 1. भारतीय चलन मुद्रा 4200 रुपये आरोपी श्री संदीप सीपानी
 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ द्वारा एक
 लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध
 पंचायत नारेला के निमार्ण कार्य खुला बरामदा तेजाजी के स्थान के पास नारेला का
 भुगतान तीन लाख रुपये पूर्व में किया गया जिसका 5 प्रतिशत कमीशन 15000 रुपये पूर्व

में ले लेना एवं 02 प्रतिशत राशि ऑडिट एवं समायोजन के नाम से 6000 रुपये और रिश्वत राशि मांगने एवं नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य श्री रतन लाल गुर्जर के मकान से देवीलाल गुर्जर के मकान तक के निर्माण कार्य के कार्य पुर्णता से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की एवं जिसमें 6000 रुपये रिश्वत राशि जिसमें 1800 रुपये के जेसीबी से कार्य कराने का बिल तथा 4200 रुपये नगद लिये जाने के संबंध में रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक दिनांक 21.07.2023 एवं 24.07.2023 को कराया गया जिससे रिश्वत राशि मांगने की पृष्ठी हुई जिस पर रिश्वत राशि मांग अनुसार दिनांक 26.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो परिवादी के उक्त वैध कार्य की एवज में 6000 रुपये रिश्वत राशि जिसमें 1800 रुपये के जेसीबी से कार्य कराने का बिल तथा 4200 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री संदीप सीपानी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या दण्डनीय अपराध है।

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य - 4200 रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरों चित्तोडगढ़

विषय:- कानूनी कार्यवाही चाहने हेतु

महोदय

उपरोक्त विषय में नियेदन है कि मैंने वर्ष 2021-22 में खूला बरामदा निवादि कार्य तेजाजी के स्थान के पास नारेला में जरिये निवादा टेण्डर लिया था जिसका मैंने समय पर निर्माण कर दिया था जिसका भुगतान 300000 मैंने प्राप्त कर लिया परन्तु उक्त कार्य की स्वयं मैं सिक्योरिटी डिपॉजीट राशि 6000 रुपये जो ग्राम पंचायत नारेला में जमा है इसके पश्चात मैंने रतन गुर्जर के मकान से देवीलाल के मकान तक गोपी कि और ग्राम काठोरिया में सीसी रोड का टेण्डर लिया जो की मैं निर्माण कार्य पूरा कर दिया है परन्तु ग्राम पंचायत नारेला का सचिव संदीप सीपानी डिपोजट राशि मुझे वापस देने तथा मेरे वर्तमान कार्य के बिलों पर साईन करने कि अवज में 4200 रुपये कि नगद रिश्वत मांग तथा 1800 रुपये का जेसीबी का बिल मांग रहा है मैं ग्राम पंचायत नारेला के सचिव संदीप सीपानी को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हूव रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं मेरी को संदीप सीपानी से कोई रंजीत दृसता उधार का कोई लेन देन बकाया नहीं है रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे

दिनांक 21/07/2023

प्रार्थी

एसडी/ नाम देवीलाल/रतन लाल गुर्जर
पता काठोडिया
ग्राम पंचायत नारेला
तहसिल व जिला चित्तोडगढ़
कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21.07.23 समय 1.00 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर उम्र 42 वर्ष निवासी काठोडिया थाना चंदेरिया जिला चित्तोडगढ़ उक्त हस्त लिखित शिकायत के साथ हाजिर हैं परिवादी ने बताया कि मेरी बालाजी कन्सट्रक्शन नाम से रजिस्टर्ड फर्म है मैं ठेकेदारी का कार्य खटीक सचिव संदीप सीपानी है सचिव ने मैंने जो नारेला में तेजाजी चौक में खुला बरामदा बनाया था इसका टेण्डर एक डेढ वर्ष हुये हो गये हैं कार्य मैंने ही किया था जिसका पेमेंट मेरे को हो चुका है मैंने सीसी रोड मैंने रतन गुर्जर से देवी लाल गुर्जर के मकान होते हुये गोपीलाल

गुर्जर के मकान तक होते हुये गोपी लाल गुर्जर के घर तक काठोडिया ग्राम में बना दी है इसका टेण्डर नरेगा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ ने किया था इसका लगभग 04.50 लाख रुपये का पेमेंट बकाया है यह बिल पंचायत समिति तभी पास करती है जब इन पर सचिव जईएन और संरपच हस्ताक्षर कर देते हैं मैंने 2,50,901.22 रुपये का बिल हस्ताक्षर हेतु सचिव के पास 10.07.2023 को गया था वो बोला पहले संरपच और जईएन के हस्ताक्षर करवा के लाओ तब मैंने उन दोनों के हस्ताक्षर करवा दिये फिर सप्ताह भर बाद गया तो मेरे को सचिव बोला कि तूमने खुला बरामदा का हिसाब नहीं किया तथा मेरे से पन्द्रह हजार रुपये ले लिये फिर भी sign नहीं किये और बोला कि 300000का 7 प्रतिशत दोगे तभी हस्ताक्षर करुगां इसके हस्ताक्षर बिना मेरा सीरी रोड का पेमेंट नहीं हो रहा है मेरे से काठोडिया में जमीन से पानी रिचार्ज करने के लिये तीन खड़े भी खुदवा लिये जो मैंने मेरी जैसीबी से खोदे हैं उनका बिल वह मांग रहा है कि यह पेमेंट मैं ही उठाउगां अब सचिव संन्दीप मेरे से 6000रुपये और मांग रहा है 4200 रुपये नगद तथा 1800रुपये का जैसीबी का बिल मांग रहा है जो वह संवय पंचायत से उठा लेगा जबकी यह 1800 रुपये का जैसीबी वर्क मैंने स्वंयं किया है परिवादी ने बताया कि उसे कोई राजकिय शूल्क/फिस सचिव को नहीं देनी है जो 4200रुपये बनते हो साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी कोई उधारी/रंजीस या दुश्मनी नहीं है सचिव विशुद्ध रिश्वत मांग रहा है और मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं परिवादी के कथन के अनुसार दिनांक 20.07.2023 को दोपहर एक डेढ़ बजे ग्राम पंचायत नारेला में सचिव ने उससे यह रिश्वत मांगी है

परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट तथा बताये गये वृतान्त के अनुसार लोक सेवक श्री संदीप सीपानी द्वारा रिश्वत कि मांग कि जा रही है फिर भी इसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है अतः मालखाने सें डिवीआर निकाला जाकर यह सुनिश्चित किया कि डिवीआर खाली और फ्रेश है डिवीआर कानिं 0 जितेन्द्र सिंह 514 को सुपूर्द कर परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड करने के निर्देश देकर रवाना किया गया।

इसके उपरान्त समय 4.30 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल और श्री जितेन्द्र सिंह पुनः कार्यालय आये इन्होंने बताया कि कार्यालय से हम लौंग 1:30 पीएम पर रवाना हुये और बाहर निकलकर 01:38 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल की मोबाईल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाईल नंबर 8005535546 पर कॉल करवाके उसकी लोकेशन पता की जिसमें आरोपी ने कहा कि मैं ग्राम पंचायत नारेला में मिलुंगा आप बयालिस सौ रुपये और बिल ले आओ। यह वार्ता भी डिवीआर में रिकार्ड की गई। तदउपरांत हम सीधे नारेला ग्रम पंचायत पहुंचे वहां आरोपी से मुलाकात कर वार्ता की आरोपी ने 6000 रुपये की डिमाण्ड की है। श्री जितेन्द्र सिंह ने डिवीआर पेश किया वार्ता को सुना गया। आरोपी रिष्ट मांग रहा है। किन्तु पूर्व में दिये गये 15000 रुपये को नहीं स्वीकार रहा है तथा संपुर्ण कार्य के लिये किसको कितना प्रतिशत देय है यह स्पष्ट नहीं है। कल और परसों शनिवार और रविवार का अवकाश है अतः दिनांक 24.07.2023 को पूनः आरोपी से परिवादी की वार्ता करवाई जायेगी। डिवीआर मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु श्री श्यामलाल हैड कानि को सुपूर्द किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक 24.07.2023 समय 11:30 एएम पर परिवादी श्री देवीलाल कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी को उसके द्वारा ग्राम पंचायत नारेला में किये गये समस्त विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया जिस पर उसने कहा कि मैं समरत पेश कर दुंगा।

इसके पश्चात् समय 12:01 पीएम पर श्री श्याम लाल हैड कानि ने निर्देशनुसार मालखाने से डिवीआर लाकर पेश किया। परिवादी श्री देवीलाल की मोबाईल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाईल नंबर 8005535546 पर कॉल करवाके उसकी लोकेशन पता की जिसमें आरोपी ने कहा कि मैं अभी घर पर ही हु आधे घण्टे में आ रहा हूं। इस वार्ता को डिवीआर में रिकार्ड किया गया था।

इसके पश्चात् समय 12:30 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व कानि श्री जितेन्द्र सिंह के साथ मय डिवीआर आरोपी से सत्यापन हेतु रवाना किया गया। इसके बाद समय 01:30 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल व कानि श्री जितेन्द्र सिंह पुनः कार्यालय आये। परिवादी ने बताया कि हमने ऑफिस से निकलते ही आरोपी को फोन किया जिस पर उसने कहा कि मैं कलेक्टर पर ही हुं। पंचायत समिति में समिति परिसर में स्थित लॉन के पास खुले में श्री संदीप सिपाणी से मेरी करीब 12:53 पीएम पर वार्ता चालू हुई। श्री जितेन्द्र सिंह लगभग 30 फिट की दुरी पर खड़े हमारे को देख रहे थे। संदीप सिपाणी ने मेरे से 6000 रुपये की डिमाण्ड की है पहले दिये गये 15000 रुपये भी उन्होंने मान लिये

ओर अब 6000 रुपये मांगा रहे हैं। जिसमें 4200 नगद तथा 1800 रुपये का जेसीबी का बिल शामिल है। श्री जितेन्द्र सिंह ने डिवीआर पेश किया। वार्ता को सुना गया वार्ता में रिश्वत की मांग स्पष्ट है तथा किसको कितना प्रतिशत मिलता है इसका भी खुलासा है। डिवीआर को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु श्री श्यामलाल हैड कानि को सुपुर्द किया। कल दिनांक 25.07.2023 को परिवादी को आवश्यक गोपनियता बाबत निर्देश देकर तथा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4200 तथा जेसीबी बिल सहीत समय 11:00 एएम पर कार्यालय पर पुनः आने के निर्देश देकर रखाना किया।

इसके पश्चात् दिनांक 25.07.2023 को समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री देवीलाल कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी को संपुर्ण विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया साथ ही रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया। परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके कल सुबह दिनांक 26.07.2023 को समय 09:30 एएम पर उपस्थित हो जाऊंगा।

इसके बाद समय 5:50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा के हैड कानि श्री श्याम लाल शर्मा को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह जरिये दुरभाष कार्यालय माध्यमिक शिक्षा चित्तोडगढ़ से तलब करने हेतु निर्देश दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई कि दोनों स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 26.07.2023 को समय 08:00 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावे।

इसके पश्चात् दिनांक 26.07.2023 को समय 09:30 एएम पर परिवादी श्री देवीलाल एवं जरिये दुरभाष तलबिदा स्वतंत्र गवाहन श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री ख्व० श्री लक्ष्मण सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी मकान नंबर 90 अरिहन्त नगर डगला का खेडा चित्तोडगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नारेला जिला चित्तोडगढ़ एवं श्री ओमप्रकाश छीपा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद छीपा उम्र 56 साल जाति छीपा निवासी— मकान नंबर 02/22 एचआईजी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चैदेरिया जिला चित्तोडगढ़ हाल उप प्रधानाचार्य शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय चित्तोडगढ़ ब्लूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की गोपनीय कार्यवाही के संबंध में दोनों स्वतंत्र गवाहन को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहन ने अपनी—अपनी सहमती दी जाने पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं दोनों स्वतंत्र गवाहनों का आपस में परियय कराया गया तथा उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा दिनांक 21.07.2023 को कार्यवाही रिपोर्ट दोनों गवाहन को पढ़ाई गई सुन समझ सही मान दोनों गवाहन ने अपने—अपने हस्ताक्षर किये। तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 21.07.2023 व दिनांक 24.07.2023 की परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाइल एवं लूबर्ल वार्ताये जो कार्यालय डिवीआर में रिकार्डशुदा कार्यालय मालखाने से डिवीआर निकालकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उक्त वाताओं से रिश्वत राशि मांग की पूछी की। तत्पश्चात् परवादी द्वारा अपनी फर्म बालाजी कन्सट्रक्शन के रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज मय आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छाया प्रति एवं फर्म बालाजी कन्सट्रक्शन काठोडिया को ग्रम पंचायत नारेला द्वारा कार्य आदेश निर्माण कार्य खुला बरामदा निर्माण कार्य तेजाजी के स्थान के पास नारेला का दिनांक 23.11.2021 को बीएसआर दर पर दिया गया उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होकर फाईनल अकाउण्ट बिल 300000 रुपये का दिनांक 25.10.2021 को ग्रम पंचायत सचिव श्री संदीप सिंहाणी द्वारा स्वीकृत किया जाकर फर्म के अकाउण्ट में जमा किया गया उक्त बिल की प्रिन्ट की प्रति जिसके संबंध में ग्रम सचिव द्वारा पूर्व में बिल स्वीकृत बिल के एवज में 5 प्रतिशत के हिसाब से 15,000 सचिव संदीप सिंहाणी को दे चुका हुं तथा आरोपी द्वारा अब 1 प्रतिशत ऑडिट का खर्च तथा 1 प्रतिशत ग्रम पंचायत से बाहर के सैक्सन का हिस्सा होने के कारण जिला परिषद कार्यालय के नाम पर मांग रहा है तो अब वह मुझसे तीन लाख का दो प्रतिशत 6000/- रुपये की और मांग कर रहा है। जिसमें से वह मुझसे 1800 रुपये का जेसीबी से कार्य करवा चुका है जिसका भुगतान मुझे नहीं करके स्वयं उठा लेगा तथा 6000 रुपये में से 1800 रुपये माईनस करके कुल 4200 रुपये नगद की मांग कर रहा है। जिससे संबंधित पूर्व में किये गये कार्य का कार्य आदेश की प्रति, स्वीकृतशुदा बिल की प्रति एवं वर्तमान में मेरी फर्म द्वारा नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसके भुगतान करने हेतु कार्य पूर्णता पर ग्रम सचिव द्वारा अपने हस्ताक्षर करने से संबंधित दस्तावेज की छाया

प्रतियां परिवादी द्वारा प्रस्तुत की जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल फाईल किये गये एवं मूल कार्य पूर्णता रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड कार्य का बिल पेमेन्ट कराने हेतु परिवादी को बाद अवलोकन सुपुर्द किया गया।

इसके पश्चात् समय 09:45 एम पर दोनों गवाहान के समक्ष, कार्यालय के डिवीआर में रिकार्डशुदा वार्ता दिनांक 21.07.2023 को समय 01:38 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को मालखाने से निकलवाकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानिंजितेन्द्र सिंह 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 10:05 एम पर दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के डिवीआर में रिकार्डशुदा वार्ता दिनांक 21.07.2023 को समय 03:31 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं आरोपी श्री संदीप सिपाणी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग उक्त डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानिंजितेन्द्र सिंह 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 11:15 एम पर दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के डिवीआर में रिकार्डशुदा वार्ता दिनांक 24.07.2023 को समय 12:01 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को मालखाने से निकलवाकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानिंजितेन्द्र सिंह 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 11:45 एम पर दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के डिवीआर में रिकार्डशुदा वार्ता दिनांक 24.07.2023 को समय 12:49 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को मालखाने से निकलवाकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानिंजितेन्द्र सिंह 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 12:05 पीएम पर दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के डिवीआर में रिकार्डशुदा वार्ता दिनांक 24.07.2023 को समय 12:53 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर तथा आरोपी श्री संदीप सिपाणी की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के कार्यालय परिसर में हुई वार्ता जो कि कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानिंजितेन्द्र सिंह 514 से पृथक से तैयार करवाई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादी तथा परिवादी के साथी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 01:00 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा द्वारा आरोपी श्री संदीप सिपाणी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति व जिला चित्तौड़गढ़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं बिल परिवादी श्री देवी लाल गुर्जर से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रुपये के 08 नोट कुल 4,000/- रुपये व 100-100 के 02 नोट कुल 200 रुपये, कुल 4200 रुपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं :—

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0 GQ 583126
2.	500 रुपये का एक नोट नंबर	9 DU 538825
3.	500 रुपये का एक नोट नंबर	9 DU 538824
4.	500 रुपये का एक नोट नंबर	9 DU 538826

5.	500 रुपये का एक नोट नंबर	2 HA 653708
6.	500 रुपये का एक नोट नंबर	7 HM 541202
7.	500 रुपये का एक नोट नंबर	8 GV 527021
8.	500 रुपये का एक नोट नंबर	5 EP 294722
9.	100 रुपये का एक नोट नंबर	9 EA 127253
10.	100 रुपये का एक नोट नंबर	7 QV 608044

उपरोक्त प्रस्तुत नोटों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात् श्री शेर सिंह कानि चालक न0 296, से मालखाना से फिनोफथलीन की शीशी मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 4200/- रुपये के समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री शेर सिंह कानि चालक से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री ओमप्रकाश छीपा से लिवाई गई, जिसमें मोबाइल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोड़ी जाकर फिनोफथेलीन लगे हुए नोटों एवं जेसीबी का बिल नंबर 03 दिनांक 10.05.2023 राशि 1800 रुपये का बिल मूल को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शै: न छोड़ते हुए श्री शेर सिंह कानि चालक से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री सुनिल कुमार कानि से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर धोल तैयार करवाया गया तो धोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस धोल में शेर सिंह कानि चालक की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनोफथेलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफथेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को शेर सिंह कानि चालक से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी को उसकी मांग अनुसार 4200/- रुपये रिश्वती राशि एवं जेसीबी का बिल नंबर 03 दिनांक 10.05.2023 राशि 1800 रुपये का बिल के मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शेरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीषीयाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री शेर सिंह कानि चालक से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपियों के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करना निर्धारित किया जाकर यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पैंट की बांधी जेब में रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया तत्पश्चात् श्री शेर सिंह कानि चालक को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पुनः मालखाने में रखवाई गई। फर्द हाजा पृथक से मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढ़कर सुनाई, पढ़-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

इसके पश्चात् समय 03.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री संदीप सिपानी द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से कहां पर ग्रहण करेगा के सम्बन्ध में आरोपी की लोकेशन की मालूमात करने हेतु परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर 8005535546 पर कॉल करवाया तो आरोपी ने अपने आप को पंचायत समिति में बिड़ीओ साहब की मिटीग में होना बताया तथा मिटीग से फ़ि होकर संपर्क करने की कहा गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसफ़िट पृथक से तैयार की जायेगी।

इसके बाद समय 04:15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दुरभाष रिजर्व पुलिस लाईन चित्तोडगढ़ से एक सहायक उप निरीक्षक, एक महिला हैड कानि, दो कानिं इमदाद हेतु तलब किये गये।

इसके बाद समय 04:30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दुरभाष रिजर्व पुलिस लाईन चित्तोडगढ़ से श्री श्याम गिरी सहायक उप निरीक्षक, श्रीमति शीतल महिला हैड कानि नं 1359, श्री लक्ष्मण कानिं नं 0 718 व श्री कैलाश कानि नं 1143 इमदाद हेतु तलब किये गये जो उपस्थित कार्यालय आये जिनके साथ कार्यालय हाजा का कानि चालक श्री जयराम को मय सरकारी वाहन टवेरा के तैयारी पॉजीशन में रहने की हिदायत मुनासिब की गई ज्येष्ठे ही संदिग्ध आरोपी ट्रेप होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि चालक श्री की ज्येष्ठे ही संदिग्ध आरोपी का निवास स्थान बताये गये पते पर पुछ कर उक्त मकान की निगरानी रखी जावे जब तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रेप कार्यवाही से फारीक होकर खानातलाशी लेने आये तब तक निगरानी रखी जावे।

इसके पश्चात् समय 05:27 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री संदीप सिपानी द्वारा रिश्वत राशि परिवादी से कहां पर ग्रहण करेगा के सम्बन्ध में आरोपी की लोकेशन की मालूमात करने हेतु परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर 8005535546 पर कॉल करवाया तो आरोपी ने अपने आप को पंचायत समिति के पास होना बताया तथा परिवादी को पंचायत समिति के बाहर ही बुलाया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसफ़िट पृथक से तैयार की जायेगी।

इसके पश्चात् समय 05:30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश छीपा, श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री नेमीचन्द्र सउनि, श्री श्याम लाल हैड कानिं, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानिं, श्री दलपत सिंह हैड कानि, श्री सुनिल कुमार कानिं एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानिं के बजानिब कार्यवाही हेतु पंचायत समिति कार्यालय चित्तोडगढ़ के लिये पेदल-पेदल रवाना होते हुए परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर को डिवीआर सुपुर्द कर पेदल-पेदल आगे-आगे रवाना कर हम सभी रवाना हुए तथा सरकारी वाहन टवेरा मय कानि मान सिंह मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के रवाना हुये।

इसके पश्चात् समय 05:34 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तोडगढ़ से पंचायत समिति कार्यालय परिसर में एवं आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगे तथा सरकारी वाहन टवेरा मय कानि मान सिंह वाहन को पंचायत समिति कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क के साईड में खड़ा किया तथा परिवादी को डिवीआर चालू कर आरोपी से रिश्वत राशि लेन-देन की वार्ता को रिकार्ड करने एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्राहण करने पर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत मुनासिब की गई।

इसके पश्चात् समय 05:40 पी.एम. पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर ने घटनास्थल पंचायत समिति कार्यालय परिसर में मैन फाटक की तरफ सभागार भवन के सामने खड़े-खड़े ही अपने सिर पर हाथ फैरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिसे पास ही खड़े श्री ओमप्रकाश हैड कानि ने देखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम के साथ अविलम्ब शिघ्रता से तेज गति से चलते हुए परिवादी के पास पहूंचे तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस ट्रेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने पास में ही खड़े हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए बताया कि यही श्री संदीप सीपाणी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ है। जिन्होने मेरे से अभी-अभी 4200 रुपये की रिश्वत राशि मांग अनुसार प्राप्त की तथा जेसीबी का कार्य से संबंधित 1800 रुपये से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किये हैं तथा ब्यूरो टीम को देखकर आरोपी ने रिश्वत राशि को नीचे सड़क पर डाल दिये उक्त स्थान पब्लिक पेलेस एवं

कलेक्ट्री के बाहर गुर्जर समाज का धरना होने से पब्लिक आवागमन ज्यादा होने से उक्त रिश्वत राशि के नोटों के ब्यूरो टीम के सदस्यों ने घेरा डालकर रखा जब तक की आरोपी के हाथ धुलाई की कार्यवाही सम्पन्न की जावे तब तक उक्त रिश्वत राशि की निगरानी पूछा तो उसने अपना नाम श्री संदीप सिपानी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी जाति जैन उम्र 36 साल निवासी मकान नंबर 36 हर्ष नगर, चामटीखेड़ा रोड केलाश नगर पुलिस थाना चित्तोडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति कोतवाली चित्तोडगढ़ होना बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री संदीप सिपानी के रिहायशी मकान नंबर 36 हर्ष नगर चामटी खेड़ा रोड केलाश नगर चित्तोडगढ़ की खाना तलाशी लिवाई जाना आवश्यक होने से पूर्व पाबन्दशुदा कार्यालय में तैयारी पॉजीशन में कानि चालक श्री जयराम को जरीये दुरभाष बताया कि आरोपी के निवास पर मय जाता के पहुंचने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस कलाई के उपर से श्री ओमप्रकाश हैड कानि० एवं बायां हाथ श्री नेमीचन्द सउनि द्वारा कलाई के उपर से पकड़वाकर आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री देवी लाल गुर्जर से 4200/- रुपये रिश्वत राशि एवं जेसीबी कार्य से संबंधित 1800 रुपये का बिल लेने तथा परिवादी की फर्म के नरेगा सीसी रोड से संबंधित कार्य पूर्णता दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने घबराते हुए बताया कि मैंने उक्त राशि पूर्व में देवीलाल जी को उधार दी थी जो इन्होने 4200 रोकड़ एवं 1800 रुपये का जेसीबी का बिल मुझे दिया था जो जेसीबी का बिल मैंने पेंट की पीछे की दायी जेब में रखे पर्स में बिल रखा है और 4200 रुपये मैंने हाथ में लेकर गिनकर मुद्री में ही थे इतने में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया इसलिये मैंने आपके सामने ही पैसे मुद्री से नीचे डाल दिया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरी फर्म बालाजी कन्स्ट्रक्शन काठोडिया के नाम से कार्य आदेश दिनांक 23.11.2021 को निर्माण कार्य खुला बरामदा तेजाजी के स्थान के पास नारेला का वर्क ऑर्डर मिला जिसका भुगतान राशि 3,00,000 रुपये का फर्म के खाते में जमा किये जा चुके हैं। जिसकी एवज में 5 प्रतिशत राशि 15000 रुपये मैंने पूर्व में दिये तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप जी द्वारा मुझे 2 प्रतिशत राशि ऑडिट एवं समायोजन के नाम से 6000 रुपये की मांग बार-बार कर रहे थे तथा मेरे उक्त निर्माण कार्य के अलावा नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड कार्य श्री रतन गुर्जर के मकान से श्री देवीलाल गुर्जर के मकान तक के निर्माण कार्य का बिल पेमन्ट कराने से संबंधित कार्य पूर्णता दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने का दबाव बनाकर रिश्वत राशि की मांग कर परेशान करने पर मैंने ब्यूरो दिनांक 21.07.2023 को कार्यवाही कराने हेतु रिपार्ट पेश की जिस पर दिनांक 21.07.2023 एवं दिनांक 24.07.2023 पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जरिये मोबाईल एवं आमने-सामने करने पर श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 6000 रुपये रिश्वत राशि लिया जाना तय हुआ जिसमें 4200 रुपये नगद तथा 1800 रुपये का जेसीबी कार्य का बिल लिये जाना बताया गया। रिश्वत राशि की मांग के अनुसार आज मैंने अभी-अभी 4200 रुपये नगद तथा 1800 रुपये का जेसीबी कार्य का बिल श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी को दिया तथा इन्होने मेरे नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड से संबंधित कार्य पूर्णता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये हैं। फिर मेरे इशारा करने पर आप ब्यूरो टीम आने पर इन्होने आपके सामने ही इनके हाथ में ली हुई रिश्वत राशि जमीन पर गिरा दी। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के संबंध में पूछः आरोपी श्री संदीप सिपानी से पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि "गलती हो गई है मैंने इनसे 4200 रुपये एवं जेसीबी का बिल 1800 रुपये का लिया है जो कि मैं श्री देवीलाल गुर्जर के पूर्व में तेजाजी के स्थान के पास नारेला खुला बरामदा निर्माण कार्य का भुगतान किया जिसमें मेरा कमीशन तो मैंने पूर्व में 15000 रुपये प्राप्त कर लिये थे परन्तु उसी निर्माण कार्य की ऑडिट एवं समायोजन के 2 प्रतिशत राशि 6000 रुपये कमीशन बनता है यह राशि मेरी जेब में नहीं रहेगी। मेरे को भी दुसरो को देनी पड़ती है तथा मैंने इनको सीसी रोड निर्माण कार्य से संबंधित बिल का भुगतान भी शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया था। जो आप के रिकार्डर में सुन सकते हैं जो मैंने इनको कहा है। मेरी इसमें कोई

गलती नहीं है मुझे श्री देवीलाल गुर्जर द्वारा फालतु में फसाया है जबकी मैंने मेरे लिये कोई रिश्वत राशि ना तो मांगी है और ना ही लिये है। मैंने तो इनके बिल को समय पर भुगतान किया है। दुसरों के लिये तो मैं मेरी जेब से थोड़ी दुंगा इसलिये मैंने 4200 रुपये नगद एवं 1800 रुपये का जेसीबी का बिल लिया है जो मैं मेरे नाम से ग्राम पंचायत खाते से प्राप्त करने के लिये लिया है। जो होना था सो हो गया अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा इत्यादी बताया। उपरोक्त परिवादी एवं आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की गई स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु सरकारी वाहन टवेरा में से श्री सुनिल कुमार कानिंजे से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश छीपा से निकलवाये जाकर साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में गवाह श्री ओमप्रकाश छीपा से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात् रिश्वती राशि के नोटों को धेरा डालकर ब्यूरो टीम के सदस्यों द्वारा निगरानी रखी गई बाद हाथ धुलाई की कार्यवाहीह के गवाह श्री ओमप्रकाश छीपा से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि जमीन पर डाली गई नीचे से से 500-500 रुपये एवं 100-100 रुपये के कुछ नोट उठाकर पेश किये जिस पर उक्त समस्त नोटों को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनों गवाहान ने 500-500 रुपये 08 एवं 100-100 रुपये के 02 नोट सहीत कुल राशि 4200 रुपये होना बताया जिस पर उक्त नोटों का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटों से दोनों गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटों का हुबहु मिलान होना पाया गया तथा बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात् आरोपी की जामा तलाशी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहीनी में एक पर्स मिला जिसमें परिवादी द्वारा दिया हुआ जेसीबी का बिल मिला जिसका अवलोकन किया गया तो बिल नंबर 3 दिनांक 10.05.2023 फर्म बालाजी कन्स्ट्रक्शन जेसीबी 02 घण्टे कार्य करने का प्रति घण्टा 900 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये का बिल होना पाया गया एवं एक आरबीएल बैंक का केन्सल चैक संख्या 0000076 खाता संख्या 409001216531, चारभुजा मिनरल वाटर सप्लायर के बिल संख्या 152 दिनांक सहित खाली बिल, मयंक इन्टरप्राईजेज बिल संख्या 78 दिनांक 29.01.2023 कम्प्युटर टाईप फोटो संबंधि कार्य राशि 2000/- रुपये का जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत नारेला के हस्ताक्षर मय मोहर एवं मयंक इन्टरप्राईजेज का पुर्णतः खाली बिल मिले उक्त मूर्ति बिलों व चैक को वजह सबूत जब्त किया गया। जिसकी फर्द जब्ती बिल पृथक से मुर्तिब की जायेगी। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर से सम्बन्धित पूर्व में खुला बरामदा निमार्ण कार्य तेजाजी के स्थान के पास नारेला के निमार्ण कार्य से संबंधित पत्रावली एवं नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड, नाली निमार्ण कार्य श्री रत्नलाल गुर्जर के मकान से देवीलाल गुर्जर के मकान तक के निमार्ण कार्य से संबंधित पत्रावली के संबंध में पहुंचा तो ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप सिपानी ने बताया कि उक्त निमार्ण कार्य से संबंधित पत्रावलीयां ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी हुई हैं जो आप ग्राम पंचायत के सहायक सचिव श्री विनोद पारिक हैं जिनसे मंगवा सकते हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से संबंधित निर्माण कार्य का रिकार्ड / दस्तावेज प्राप्त करने हेतु पृथक से पत्र जारी कर रिकार्ड तलब किया जायेगा। आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी तथा परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मध्य आपस में साधारण कॉल पर हुई रिश्वत राशि मांग

सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व तथा बाद में हुई मोबाईल वार्ताएं होना पाये जाने से आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल फोन को वजह सबूत कब्जे व्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मौके पर ही पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 08:00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू स्वतन्त्र गवाहन श्री ओमप्रकाश छीपा, श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत, परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर तथा व्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री नेमीचन्द सउनि, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि०, श्री दलपत सिंह हैड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि० एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि० मय सरकारी वाहन टवेरा मय कानि मान सिंह मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामगी के आरोपी श्री संदीप सिपानी मय जब्तशुदा आर्टिकल मय बरामदशुदा रिश्वत राशि के बाद फारीक पंचायत समिति परिसर से रवाना हुआ।

इसके पश्चात् समय 08:10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू स्वतन्त्र गवाहन श्री ओमप्रकाश छीपा, श्री कमलेन्द्र सिंह चुण्डावत, परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर तथा व्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री नेमीचन्द सउनि, श्री श्याम लाल हैड कानि०, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि०, श्री दलपत सिंह हैड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि० एवं श्री जितेन्द्र सिंह कानि० मय सरकारी वाहन टवेरा मय कानि मान सिंह मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामगी के आरोपी श्री संदीप सिपानी मय जब्तशुदा आर्टिकल मय बरामदशुदा रिश्वत राशि के बाद फारीक पंचायत समिति परिसर से रवाना शुदा व्यूरो कार्यालय पर उपरिथित आया तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स एवं बरामदशुदा रिश्वत राशि को कार्यालय मालखाना प्रभारी श्री श्यामलाल कानि द्वारा मालखाने में सुरक्षित रखवाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इसके पश्चात् समय 08:20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन, परिवादी के समक्ष एवं आरोपी की उपरिथित में ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी की जामा तलाशी में पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहीनी जेब में मिले पर्स में निम्न बिल एवं केन्सल चैक जिनका विवरण निम्न प्रकार है कि जेसीबी का बिल नंबर 3 दिनांक 10.05.2023 फर्म बालाजी कन्सट्रक्शन जेसीबी 02 घण्टे कार्य करने का प्रति घण्टा 900 रूपये के हिसाब से 1800 रूपये का बिल होना पाया गया एवं एक आरबीएल बैंक का केन्सल चैक संख्या 0000076 खाता संख्या 409001216531, चारभुजा मिनरल वाटर सप्लायर के बिल संख्या 152 दिनांक सहित खाली बिल, मयंक इन्टरप्राईजेज बिल संख्या 78 दिनांक 29.01.2023 कम्प्युटर टाईप फोटो संबंधि कार्य राशि 2000/- रूपये का जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत नारेला के हस्ताक्षर मय मोहर एवं मयंक इन्टरप्राईजेज का पुर्णतः खाली बिल मिले उक्त मूल बिलों व चैक को वजह सबूत जब्त किया गया जिसकी फर्द जब्ती पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् समय 09:10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री संदीप सीपाणी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी जाति जैन उम्र 36 साल निवासी मकान नंबर 36 हर्ष नगर, चामटीखेडा रोड कैलाश नगर पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ को अन्तर्गत धारा 41 (1) (बी) सीआरपीसी के तहत आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के कारणों के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी एकट 1988 यथा संशोधन 2018 से अवगत कराया जाकर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया। तथा गिरफ्तारी के संबंध में उसके अधिकारों से अवगत कराया गया। फर्द गिरफ्तारी हस्वकायदा पृथक से मुर्तीब कर मुतालिकीन को पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के भाई श्री साहिल सिपानी को दी गई।

इसके पश्चात् समय 10:30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय जाप्ता हैड कानि दलपत सिंह व कानि सुनिल कुमार मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक शेर सिंह मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय आवश्यक उपकरण के आरोपी श्री संदीप सिपानी के रिहायशी मकान नंबर 36 हर्ष नगर चामटी खेडा रोड कैलाश नगर चित्तोडगढ की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ।

इसके पश्चात् समय 10:40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन मय जाप्ता हैड कानि दलपत सिंह व कानि सुनिल कुमार मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक शेर सिंह मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय आवश्यक उपकरण के आरोपी श्री संदीप सिपानी के रिहायशी मकान नंबर 36 हर्ष नगर चामटी खेडा रोड कैलाश नगर चित्तोडगढ की खाना तलाशी

हेतु रवाना हो आरोपी के उक्त निवास पर पहुंचा जहां पूर्व में निगरानी हेतु भेजा हुआ जाप्ता मौजूद मिला जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी के परिवारजनों की उपस्थिति में खाना तलाशी नियमानुसार लिंगई गई जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं फर्द खाना तलाशी की एक प्रति निशुल्क आरोपी के परिवार जनों को दी गई। बाद फारीक खाना तलाशी के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एवं पूर्व निगरानीशुदा जाप्ता मय दोनों सरकारी वाहन टवेरा के बाद फारिक व्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुआ।

इसके पश्चात् समय 11.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन मय जाप्ता हैड कानि दलपत सिंह व कानि सुनिल कुमार मय आरोपी श्री संदीप सिपानी के रिहायशी मकान नंबर 36 हर्ष नगर चामटी खेड़ा रोड कैलाश नगर चित्तोडगढ़ की बाद फारीक खाना तलाशी के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एवं पूर्व निगरानीशुदा जाप्ता श्री श्याम गिरी सहायक उप निरीक्षक, श्रीमति शीतल महिला हैड कानि न० 1359, श्री लक्ष्मण कानि० न० 718 व श्री कैलाश कानि न० 1143 मय दोनों सरकारी वाहन टवेरा के व्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। इमदादशुदा जाप्ता रिंजर्व पुलिस लाईन चित्तोडगढ़ के लिये रुखसत किया गया।

इसके पश्चात् समय 11.55 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सीपाणी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी जाति जैन उम्र 36 साल निवासी मकान नंबर 36 हर्ष नगर, चामटीखेड़ा रोड कैलाश नगर पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़की जामा तलाशी गवाह श्री ओमप्रकाश छीपा से लिंगई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक एन्ड्राईड फोन oneplus nord ce 2 Lite 5G, बरंब काला होकर उसमें दो मोबाईल सीम लगी हुई है जिसके मोबाईल नंबर 80055-35546 एवं 94610-25925 है। उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यालय में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर कपड़े की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "M" दिया गया। फर्द मोबाईल जब्ती पृथक से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके पश्चात् दिनांक 27.07.2023 समय 12.05 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नेमीचन्द्र सहायक उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक शेर सिंह एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी को वास्ते स्वारक्षण कराने एवं बाद स्वारक्षण के रात्रि निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तोडगढ़ दाखिल हवालात कराने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया।

इसके पश्चात् समय 01.00 ए.एम. पर श्री नेमीचन्द्र सहायक उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन मय चालक शेर सिंह द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी को व्यूरो कार्यालय चित्तोडगढ़ से रवाना हो राजकीय सावलिया चिकित्सालय चित्तोडगढ़ पहुंच आरोपी का स्वारक्षण परीक्षण करा एवं बाद स्वारक्षण परीक्षण के रात्रि निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तोडगढ़ दाखिल हवालात करा प्राप्ति रसीद एवं स्वारक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर व्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये।

इसके पश्चात् समय 01.15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष, दिनांक 26.07.2023 को समय 03:00 पी.एम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 78774-98573 से अरोपी श्री संदीप सिपानी मोबाईल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर मे रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिह कानि द्वारा तैयार करवा संबंधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात् समय 01.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष, दिनांक 26.07.2023 को समय 05:27 पी.एम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये पूनः परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 78774-98573 से अरोपी श्री संदीप सिपानी मोबाईल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर मे रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिह कानि द्वारा तैयार करवा संबंधितो के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात् समय 02.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष, दिनांक 26.07.2023 को समय 05:34 पी.एम पर पंचायत समिति परिसर मे परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व आरोपी श्री संदीप सिपानी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता जो कार्यालय के डिवीआर मे रिकार्ड की गई थी उक्त डिवीआर को

कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि द्वारा तैयार करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात् समय 06.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष दौराने द्वेष कार्यवाही डिवीआर में दर्ज परिवादी तथा आरोपी की वार्ता जो निम्नानुसार है— दिनांक 21.07.2023 को समय 01:38 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 21.07.2023 को समय 03:31 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं आरोपी श्री संदीप सिपाणी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:01 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:49 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:53 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर तथा आरोपी श्री संदीप सिपाणी की पंचायत समिति चित्तोडगढ़ के कार्यालय परिसर में हुई वार्ता, दिनांक 26.07.2023 को समय 03:00 पीएम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 78774-98573 से आरोपी श्री संदीप सिपाणी मोबाइल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता एवं दिनांक 26.07.2023 को समय 05:27 पीएम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये पूनः परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 78774-98573 से आरोपी श्री संदीप सिपाणी मोबाइल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता एवं दिनांक 26.07.2023 को समय 05:34 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व आरोपी श्री संदीप सिपाणी के मध्य वक्त पंचायत समिति परिसर में परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व आरोपी श्री संदीप सिपाणी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता, कुल 08 वार्ताये जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर 04 सीडी तैयार करवाई गई 01 सीडी माननीय न्यायालय हेतु, 01 सीडी नमुना आवाज हेतु तथा 01 सीडी आरोपी हेतु तथा 01 सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार करवा उपरोक्त 04 सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। अनुसंधान अधिकारी की सीडी को खुला रखा गया शेष 03 सीडीओ को पृथक-पृथक कपड़े की अनुसंधान अधिकारी की सीडी को संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिये गये। फर्द डंबिंग थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिये गये। फर्द डंबिंग सीडी पृथक से मुर्तिंब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल की गई।

इसके पश्चात् समय 07.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष दौराने द्वेष कार्यवाही डिवीआर में दर्ज परिवादी तथा आरोपी की वार्ता जो निम्नानुसार है— दिनांक 21.07.2023 को समय 01:38 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 21.07.2023 को समय 03:31 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं आरोपी श्री संदीप सिपाणी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:01 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:49 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाइल नंबर पर 8005535546 पर मोबाइल वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:53 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर तथा आरोपी श्री संदीप सिपाणी की पंचायत समिति चित्तोडगढ़ के कार्यालय परिसर में हुई वार्ता, दिनांक 26.07.2023 को समय 03:00 पीएम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाइल नंबर 78774-98573 से आरोपी श्री संदीप सिपाणी मोबाइल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता, दिनांक 26.07.2023 को समय 05:34 पीएम पर पंचायत समिति परिसर में परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व आरोपी श्री संदीप सिपाणी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता, कुल 08 वार्ताये जो कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड थी उक्त डिवीआर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त 08 वार्ताओं को ए-डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. पैन ड्राइव बरंग सिल्वर में सेव किया जाकर पैन ड्राइव को एक कागज के लिफाफे में डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सिल्ड कर मार्क “पी.” अंकित कर कपड़े की थैली पर

सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध में फर्द जब्ती पेन ड्राईव अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके पश्चात् समय 07.15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही डिवीआर में दर्ज परिवादी तथा आरोपी की वार्ता जो निम्नानुसार है— दिनांक 21.07.2023 को समय 01:38 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाईल नंबर पर 8005535546 पर मोबाईल वार्ता, दिनांक 21.07.2023 को समय 03:31 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं आरोपी श्री संदीप सिपाणी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:01 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाईल नंबर पर 8005535546 पर मोबाईल वार्ता, दिनांक 24.07.2023 को समय 12:49 पीएम पर परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 7877498573 से आरोपी के मोबाईल नंबर पर 8005535546 पर मोबाईल वार्ता दिनांक 24.07.2023 को समय 12:53 पीएम पर परिवादी श्री 8005535546 पर मोबाईल वार्ता दिनांक 26.07.2023 को समय 03:00 पीएम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 78774-98573 से आरोपी श्री संदीप सिपाणी मोबाईल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता दिनांक 26.07.2023 को समय 05:27 पीएम पर रिश्वत लेन-देन हेतु आरोपी की लोकेशन जानने के लिये पूँज़ परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर के मोबाईल नंबर 78774-98573 से आरोपी श्री संदीप सिपाणी मोबाईल नंबर 8005535546 पर हुई वार्ता, दिनांक 26.07.2023 को समय 05:34 पीएम पर पंचायत समिति परिसर में परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर व आरोपी श्री संदीप सिपाणी के मध्य वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता, कुल 08 वार्ताये जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव है कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉर्डर सिक्युरिटी रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकार्ड है । उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर कपड़े की थेली को सिल्ड कर मार्क “एम-01” अंकित कर कपड़े की थेली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इस सम्बन्ध में फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड अलग से मूर्तीब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके पश्चात् समय 09.00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं हैड कानि श्री ओमप्रकाश मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि० श्री जयराम के घटनास्थाल ट्रेप कार्यवाही जहां रिश्वत राशि का लेन-देन हुआ पंचायत समिति कार्यालय चित्तोडगढ़ पहुंच परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर की निशादेह पर घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये । फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया ।

इसके पश्चात् समय 09.10 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं हैड कानि श्री ओमप्रकाश मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि० श्री जयराम के घटनास्थाल ट्रेप कार्यवाही जहां रिश्वत राशि का लेन-देन हुआ पंचायत समिति कार्यालय चित्तोडगढ़ पहुंच घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर बाद फारीक नक्शा मौका के रवाना व्यूरो कार्यालय हुआ ।

इसके पश्चात् समय 10.10 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं हैड कानि श्री ओमप्रकाश मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक कानि० श्री जयराम के घटनास्थाल ट्रेप कार्यवाही जहां रिश्वत राशि का लेन-देन हुआ पंचायत समिति कार्यालय चित्तोडगढ़ पहुंच घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कर बाद फारीक नक्शा मौका के रवानाशुदा व्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये ।

इसके पश्चात् समय 01.15 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द्र ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानि० जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि० ड्राईवर नम्बर 296 को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ़ से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सिपाणी को लाने हेतु थाना कोतवाली रवाना किया गया ।

इसके पश्चात् समय 01.50 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री सुनिल कुमार कानिंजी जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानिंजी ड्राईवर नम्बर 296 को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ़ से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सिपानी को दुरस्त हालात में प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय मे वापस आये। जिस पर आरोपी को ब्यूरो कार्यालय की निगरानी में बैठाया गया। बाद फारीक सम्पूर्ण कार्यवाही के परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को रुखसत किया गया।

इसके पश्चात् समय 02:00 पी.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री संदीप सिपानी ग्राम विकास अधिकारी को ट्रेप कार्यवाही से संबंधित परिवादी देवी लाल गुर्जर के निर्माण कार्यों के संबंध में, मोबाइल, व्हाट्स एप चैटिंग श्री ईश्वर के मोबाइल नम्बर, श्री कुसुमकान्त शर्मा के मांबाइल की व्हाट्स चैटिंग के संबंध में एवं जेसीबी का बिल वक्त ट्रेप कार्यवाही प्राप्त करने के संबंध में पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर आरोपी के हस्ताक्षर करवाये शामिल पत्रावली किया गया।

इसके पश्चात् समय 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नेमीचन्द खटीक ए.एस.आई, श्री सुनिल कुमार कानिंजी, श्री मान सिंह कानि के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री संदीप सीपानी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ को वार्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर के लिये रवाना किया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री संदीप सीपानी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री देवीलाल गुर्जर की फर्म बालाजी कन्स्ट्रक्शन काठेडिया द्वारा ग्राम पंचायत नारेला के निर्माण कार्य खुला बरामदा तेजाजी के रथान के पास नारेला का भुगतान तीन लाख रुपये पूर्व में किया गया जिसका 5 प्रतिशत कमीशन 15000 रुपये पूर्व में ले लेना एवं 02 प्रतिशत राशि ऑडिट एवं समायोजन के नाम से 6000 रुपये और रिश्वत राशि मांगने एवं नरेगा अन्तर्गत सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य श्री रतन लाल गुर्जर के मकान से देवीलाल गुर्जर के मकान तक के निर्माण कार्य के कार्य पुर्णता से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की एवं जे.सी. रिश्वत राशि जिसमें 1800 रुपये के जेसीबी से कार्य कराने का बिल तथा 4200 रुपये नगद लिये जाने के संबंध में रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 21.07.2023 एवं 24.07.2023 को कराया गया जिससे रिश्वत राशि मांगने की पुष्टी हुई जिस पर रिश्वत राशि मांग अनुसार दिनांक 26.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो परिवादी के उक्त वैध कार्य की एवज में 6000 रुपये रिश्वत राशि जिसमें 1800 रुपये के जेसीबी से कार्य कराने का बिल तथा 4200 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री संदीप सिपानी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री संदीप सिपानी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी जाति जैन उम्र 36 साल निवासी मकान नंबर 36 हर्ष नगर, चामटीखेड़ा रोड कैलाश नगर पुलिस थाना कोतवाली चित्तोडगढ़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नारेला पंचायत समिति चित्तोडगढ़ के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वार्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तोडगढ़

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री संदीप सिपानी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार सिपानी, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नारेला, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 202/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तपतीश जारी है।

लाल 28.7.23
(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2422-25 दिनांक 28.07.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

लाल 28.7.23
पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।